संख्या- 171 / 2026 / 1347 / चार-2026-1924029

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2026**

विषय:- संरक्षित स्मारक तुलाराम तालाब एवं शिव मन्दिर, लखनाखेड़ा, फतेहपुर, उत्खनन पुरास्थल हुलासखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ, उत्खनन पुरास्थल बनरसिंहा कला एवं खुर्द, महाराजगंज तथा टिकैतराय शिव मंदिर, बिठूर, कानपुर नगर पर वृहद अनुरक्षण कार्य के संबंध में कन्सलटेंसी फीस की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 144/प्रथम-03 कन्सलटेन्ट (04)/26, दिनांक 06 मई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संरक्षित स्मारक तुलाराम तालाब एवं शिव मन्दिर, लखनाखेड़ा, फतेहपुर, उत्खनन पुरास्थल हुलासखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ, उत्खनन पुरास्थल बनरसिंहा कला एवं खुर्द, महाराजगंज तथा टिकैतराय शिव मंदिर, बिठूर, कानपुर नगर पर वृहद अनुरक्षण कार्य किये जाने हेतु कंसलटेंसी फीस के भुगतान की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित विवरणानुसार संरक्षित स्मारकों पर वृहद अनुरक्षण कार्य हेतु कन्सलटेंसी फीस के भुगतान हेतु **रू0 5,10,071/- (रूपये पांच लाख दस हजार इकहत्तर मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर- 3 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	परियोजना का नाम	GST सहित देय कन्सलटेन्सी फीस	अवमुक्त कन्सलटेन्सी फीस	अवशेष देय कन्सलटेन्सी फीस
1	2	3	4	5
1	पुरास्थल बनरसिंहा कला एवं खुर्द, महाराजगंज	1,85,861/-	1,39,396/-	46,465/-
2	पुरास्थल हुलासखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ	2,12,610/-	1,59,458/-	53,152/-
3	तुलाराम तालाब एवं शिव मन्दिर, लखनाखेड़ा, फतेहपुर	2,06,651/-	1,54,988/-	51,663/-
4	टिकैतराय शिव मन्दिर, बिठूर, कानपुर नगर	3,58,791/-	-	3,58,791/-
कुल योग (रूपये पांच लाख दस हजार इकहत्तर मात्र)				**5,10,071/-**

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा र्नित शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश पुरातत्व निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति- 103- पुरातत्व विज्ञान- 03- पुरातत्व निदेशालय - 16- व्यावसायिक व विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 171 /2026 / 1347 (1)/चार-2026-1924029 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।